राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

---

क्रमांकः प. 1(16)साप्र/ग्रुप–5/09 पार्ट जयपुर, दिनांक 18/05/2018

**आदेश**

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.3.2017 के निरन्तरता में वर्ष 2018–19 के लिये राज्य के सभी विश्राम भवनों (ट्रांजिट हॉस्टल,जयपुर/राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली एवं राजस्थान भवन, वाशी, नवीं मुम्बई को शामिल करते हुये) में आवश्यकतानुसार सफाई एवं बागवानी कार्य आउटसोर्स पर कराने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवाऐं नहीं ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जायेगा।
2. जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of Work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभाग RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान व प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
3. व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 101501567 दिनांक 23.04.2015 में दी गयी सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गौरव बजाड़)
संयुक्त शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. निवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निवासीय आयुक्त, राजस्थान भवन, वाशी, नवीं मुम्बई।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
6. पे एण्ड अकाउण्ट्स आफिसर, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
7. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान/ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर/राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली/राजस्थान भवन, वाशी, नवीं मुम्बई।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव